रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2002/ज्येष्ठ 23, 1924
No. 535] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2002/JYAISTHA 23, 1924

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2002

का.आ. 630(अ).— प्रीवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू ट्रान्सपोर्टिंग , राइडिंग एण्ड ट्रेकिंग इक्वाईन रूल्स, 2002 जिसको केन्द्र सरकार प्रीवेशंन ऑफ क्रूएल्टी टू एनीमल्स एक्ट, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 द्वारा सौंपी गई शक्तियों में लागू करने का प्रस्ताव करती है, नामक कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को उसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ उक्त खंड के उप-खंड (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं ; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमावली पर उस तारीख, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिनमें अधिसूचना प्रकाशित है, जनता को उपलब्ध करवाई जाती हैं, को अथवा उस तारीख से तीस दिनों को अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा ।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में कोई भी शिकायत अथवा सुझाव भेजने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतें और सुझाव सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली को उक्त तारीखों तक भेज सकता है । उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त शिकायतों अथवा सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियमावली

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भः- (I) इन नियमों को प्रीवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू ट्रान्सपोर्टिंग राइडिंग एण्ड ट्रेकिंग इक्वाइन रूल्स, 2002 कहा जाए ।
2. ये, सरकारी राजपत्र में इनको अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे ।
3. परिभाषाएं:- इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "इक्वाईन ऑपरेटिंग लाईसेंस" का अर्थ है इन नियमों के अतंर्गत किसी मालिक को स्वीकृत लाईसेंस;

(ख) "हिल एरीयाज" का अर्थ है अनुसूची-I में उल्लिखित पहाड़ी जिलों सहित सभी पहाड़ी जिले;

(ग) "इन्सपेक्टिंग ऑफीसर" का अर्थ है प्राधिकृत अधिकारी अथवा लाईसेंसिंग प्राधिकारी अथवा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत किसी अन्य पशु कल्याण संगठन द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(घ) "लाईसेंसिंग अथॉरिटी" का अर्थ है राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत कोई पशु कल्याण संगठन के ऐसे अधिकारी जिनको केन्द्र सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश के द्वारा नियुक्त करे ।

(ड.) " लोकल अथॉरिटी" का अर्थ है कोई नगर निगम, नगर समिति, जिला बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र, छावनी बोर्ड, उप प्रभागीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी अथवा अन्य वर्तमान अधिकारी जिसे कानून द्वारा किसी निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियंत्रण और प्रशासन की शक्तियों सौंपी गई हों ;

(च) " ऑनर" का उपयोग किसी पशु के संदर्भ में होता है जिसमें केवल मालिक ही शामिल नहीं है बल्कि वर्तमान में या तो मालिक की स्वीकृत से अथवा मालिक की स्वीकृत के बिना पशु के स्वामित्व अथवा पशु की अभिरक्षा में, लगा कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है ;

(छ) "प्लेन एरीयाज" का अर्थ है वे सभी जिले और क्षेत्र जो अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं ;

(ज) "प्रेसक्राइब्ड अथॉरिटी" का मतलब है केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड अथवा ऐसा अन्य प्राधिकरण जिसे केन्द्र सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश के द्वारा नियुक्त करे ;

(झ) " सब्सिडियरी इक्वाईन ऑपरेटिंग लाईसेंस" का अर्थ है किसी लाईसेंस धारी प्रचालक की ओर से किसी अश्व को प्रचालित करने वाले किसी व्यक्ति को स्वीकृत लाइसेंस ;

(ञ) ट्रान्सपोर्टिंग, राईडिंग एण्ड ट्रेकिंग इक्वाईन्स " का अर्थ है टट्टुओं, घोड़ो, घोडियों, गधों जो या तो मादा है या नर, सहित सभी अश्व जिनका उपयोग परिवहन अथवा सवारी अथवा लम्बी यात्रा के लिए किया जाता है

(ट) "राइडिंग इक्वाईन" का अर्थ है उन अश्वों जिनका उपयोग सवारी लेसनों अथवा प्रतियोगिताओं अथवा आनंद-दायक सावारियों के लिए किया जाता है, सहित या तो स्थानीय अथवा लम्बे व्यक्तिगत अथवा समूह परिवहन के लिए किराए पर लिए गए अथवा निकाले गये सभी अश्व ;

(ठ) " ट्रेकिंग इक्वाईन" का अर्थ है वे अश्व जिनका उपयोग किसी व्यक्तिगत सामान अथवा सामग्री अथवा व्यक्तियों के लिए आपूर्ति के साधनों अथवा पैदल यात्रा कर रहे समूहों, अथवा दूर क्षेत्रों के जरिए आए पर्वतारोहियों के लिए किया जाता है ;

(ड) "ट्रान्सपोर्टिंग इक्वाईन" का अर्थ है वे अश्व जिनका उपयोग किसी व्यक्ति अथवा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है ।

3. **अश्वों के उपयोग पर प्रतिबंध**-(I) कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी अश्व का उपयोग परिवहन अथवा सवारी अथवा लम्बी यात्रा के लिए अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए व्यक्तियों अथवा सामान के परिवहन के अन्य उपाय के रूप में नहीं करेगा जो है:-

(i) किसी ऐसी बीमारी अथवा व्याधि से ग्रस्त है जो संक्रामक है: अथवा
(ii) संसर्जक अथवा परजीवी अथवा अन्यथा है अथवा किसी चोट अथवा पेशीय अथवा कंकालीय विकृति से ग्रस्त है; अथवा
(iii) जिनकी उम्र 3 वर्षों से कम है; अथवा
(iv) गर्भवती है; अथवा
(v) इन नियमों की अनुसूची -II में निर्धारित अश्वों की बॉड़ी कन्डीशन स्कोरिंग के अनुसार 2 से कम अथवा 4 से अधिक कन्डीशन स्कोर रखता हो ।

2. कोई भी व्यक्ति ऐसे अश्वो का उपयोग परिवहन अथवा सवारी अथवा लम्बी यात्रा के लिए अथवा व्यक्तियों अथवा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए नहीं करेगा जिनके अफराव:-

(i) खंडित, लम्बी, मुड़ी हुई अथवा व्याधिग्रस्त अवस्था में है ; अथवा
(ii) ठीक से सुव्यवस्थित नहीं है ; अथवा
(iii) री-शूईगं की आवश्यक्ता है ।

इस नियम के उद्देश्यार्थ व्याख्याः-

(i) "विकृति" में किसी आंतरिक अथवा वाह्य अंग अथवा शारीरिक तंत्र का विकृत होना शामिल है । विकृति अथवा कान पिनाइ, पूँछ (यदि वे व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं और यदि चमड़ी का अनावरण नहीं हो रहा है) छोटे सुसाध्य टयूमर (डायमीटर में 1 से अधिक नहीं है), शरीर आकार में स्वीकार्य विभिन्नता (लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित किया जाने वाला) अलग रखे जाएंगें ;

(ii) "चोट" में किसी मुलायम ऊतक, उपास्थि, चमड़ी, मांसपेशी, स्नायु अथवा नस की क्षति अथवा विभंजन अथवा किसी हड्डी अथवा जोड़ का टूट जाना शामिल है ।

4. **लाइसेंस के बिना अश्व के उपयोग का प्रतिबंध-** अश्व का कोई मालिक अश्व को परिवहन या अश्वारोहण या लम्बी यात्रा या सामान ढ़ोने के साधन के रूप में या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग नहीं करेंगा जब तक कि वह अश्व प्रचालन लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है या अश्व के मालिक की ओर से अश्व के प्रचालन वाला व्यक्ति एक अनुषंगी अश्व प्रचालन लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है ।

5. **लाइसेंस की स्वीकृति :** - (I) अश्व प्रचालन लाइसेंस या अनुषंगी अश्व प्रचालन लाइसेंस इन नियमों से संलग्न क्रमशः फॉर्म-I और फॉर्म-2 में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिया जाएगा जिसमें फॉर्म-I और 2 में दिए गए अनुसार ऐसे विवरण होंगे और प्रति आवेदन 200 रू0 शुल्क संलग्न होगी।

2. आवेदन की प्राप्ति पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी सम्बंधित निरीक्षण अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा या ऐसी जानकारी मांगेगा जिसे प्राधिकारी ठीक समझे और निम्नानुसार अपने आपको संतुष्ट करेगाः

(क) कि अश्व की स्थिति गणना अश्व, घोड़ो, घोडियों और गधों की शारीरिक स्थिति गणना के अनुसार न ही 2 से कम न हीं 4 से अधिक हो, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) कि सामान्यतः घोड़े में कोई बीमारी, चोट या अंग-विकृति नहीं हैं ;

(ग) कि घोड़े मे कोई बीमारी, चोट या आंखों में विकृति (दृष्टि सामान्य होती है), दांत, जेनीटालिया (जननागं), खुर और चारो टागों में विशेषत नहीं होती है ।

(3) उक्त रिपोर्ट और प्राप्त सूचना, यदि कोई हो द्वारा संतुष्ट होने के बाद लाइसेंस प्राधिकारी, इन नियमों के अनुसार, जैसा कि क्रमशः फार्म 3 और 4 में आवेदन किया गया है एक इक्वीन ओपरेटिगं लाइसेंस या अनुषंगी इक्वीन ओपरेटिगं लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है ।

यह माना गया है कि ऐसी अस्वीकृत से पूर्व आवेदक को प्रचालन की योग्यता का मौका दिया जाएगा ।

4. यदि आवेदक इस नियम के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस की स्वीकृती का आवेदन अस्वीकार कर देगा बशर्ते कि ऐसी अस्वीकृत से पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाए ।

6. **अश्व पहचान पत्र :-** लाइसेंसिंग प्राधिकारी अश्व प्रचालन लाइसेंस स्वीकृत करते समय निम्नलिखित विवरण सहित आवेदक को एक अश्व पहचान पत्र भी जारी करेगाः-

(क) अश्व का सामने का और एक ओर का फोटोग्राफ ;
(ख) अश्व के शरीर पर कोई विशिष्ट चिन्ह (बनावटी या प्राकृतिक) के लिखित और सचित्र संकेत ;
(ग) आयु, ऊँचाई, वर्तमान वजन और स्थिति गणना ;
(घ) मालिक का नाम और पता
(ङ) अन्तिम तारीख की समाप्ति सहित मालिक का अश्व प्रचालन लाइसेंस नम्बर ।

7. **लाइसेंस का नवीकरण और अवधि- (1)** नियम 5 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत जारी एक लाइसेंस, जब तक कि वह पहले ही प्रतिसहंरित न कर दिया जाएगा, स्वीकृत किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा ।

ऐसा लाइसेंस अल्प अवधि के लिए स्वीकृत किया जाए यदि लाइसेंसिगं प्राधिकारी यह विचार करता है कि यह पशु के कल्याण के लिए आवश्यक होगा कि लाइसेंस अल्प अवधि के लिए स्वीकृत किया जाए ।

(2) उप-नियम (1) में उल्लिखित उपबन्धों के अध्यधीन, मालिक नवीकरण के 100 रू0 के शुल्क सहित फॉर्म- 5 में नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है ।

(3) लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त लाइसेंस को जब भी लाइसेंसधारक अपने अश्व के प्रचालन करे, हर समय अपने पास रखना चाहिए ।

8. **लाइसेंस धारक की निबंधन और शर्तें**- लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण, लाइसेंस देते समय ऐसी अन्य शर्तों जो लगानी उपयुक्त हों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें लगाई जाएंगी । लाइसेंस धारक सुनिश्चित करे कि:

(1) **स्वास्थ्यः-**

(क) ढुलाई, तीर्थाटन, घुड़सवारी और या गाड़ी खींचना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति या वस्तुओं के परिवहन के अन्य किसी माध्यम के रुप के उद्देश्य से कोई बीमार, घायल, विकृत या विकलांग अश्व प्रयुक्त न हो ।

(ख) अपने मूल घर से (5) पांच कि.मी. से अधिक यात्रा करने वाले किसी अश्व के लाइसेंस धारक को किसी स्थनीय राज्य पशु-चिकित्सालय या कंपाउडर कार्यालय, पशुओं पर क्रूरता निवारण सोसायटी, या अन्य पशु कल्याण अभिकरण या स्थानीय औषधि विक्रेत (केमिस्ट) के पास में उपलब्ध मदों को समाविष्ट करके अपने प्रभार में बीमार या घायल किसी अश्व के घावों या चोटों के उपचार के लिए अश्व को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा बाक्स रखना चाहिए । प्रत्येक अश्व प्राथमिक चिकित्सा किट में कैंची, अश्व के एंटीसेप्टिक (तरल और ट्यूब) ड्रेसिंग की सामग्री अर्थात कॉटन वूलन, जाली की पेडिंग, पट्टियां और चिपकने वाले प्लास्टर समाविष्ट किए जाने चाहिए ।

(ग) कोई अश्व जिसे उसके उपयोग के दौरान बीमार, घायल या चोट लगी हो को तत्काल हटा लिया जाए और जांच की जाए । यदि अश्व गंभीर रुप से घायल हो और चल पिर न सकता हो (अर्थात हड्डी चट्खने या टूटने के कारण) उसे व्यवस्था करते समय ऐसा भोजन, जल और गर्मी या सर्दी से सुरक्षा दी जानी चाहिए जो उपलब्ध हो यथाशीघ्र चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए । यदि अश्व चल फिर सकता है तो उसे सावधानी से समीप के आश्रय स्थल पर ले जाना चाहिए जहां पशु चिकित्सा सेवा प्राप्त किए जाने तक उसे चारा खिलाने, जल पिलाने और सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(2) आश्रय स्थल

अवस्थिति, ऋतु और मौसम की स्थिति के अनुसार और घोड़े के पोश्चर के अतिरिक्त उजाड़ क्षेत्रों (जंगल) में गर्मी, सर्दी, हवाओं और आर्द्र मौसम से सुरक्षा प्रदान करने के साथ सिर, गर्दन और पैरों को फैलाकर लेटने का उपयुक्त आश्रय स्थल हो और उसे हरदम स्वच्छ, शुष्क रखें और गोबर और मलवा जैसे कि तार, रस्सी, डोरी, प्लास्टिक या अन्य इसी प्रकार की सामग्री जो उनके लिए हानिकारक हों से मुक्त रखें ।

(3) **खुला कम्पाउंडर" पिकेट लाइन्स" और अन्य जंजीर से बांधने के स्थानः**

किसी भी स्थान का मैदान जहां अश्व को या तो खुला " पिकेट लाइनों " से जंजीर से बांधकर (एक रस्सी जो दो या इससे अधिक खूंटों तक जा सके जिससे अश्व को वृक्ष, खम्भे से बांधा जाता है) को हरदम स्वच्छ, शुष्क रखा जाए और गोबर और मलबा जैसे कि तार, रस्सी, डोरी, प्लास्टिक या अन्य इसी प्रकार की सामग्री जो पशुओं के लिए हानिकारक हो सकती है से मुक्त रखा जाए ।

(4) **चारा और जल**

प्रत्येक अश्व को उनकी दैनिक आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त चारा और जल प्रदान किया जाना चाहिए । कोई भी चारा या ऐसा जल जिसमें दूषित पदार्थ समाविष्ट हों, जिनसे वे बीमार पड़ जाएं या घायल हो जाएं न दिया जाए ।

(क) प्रत्येक अश्व को चाहे वह काम पर हो या विश्राम में स्थिति हिसाब 2 के न्यूनतम पर बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार देना चाहिए किन्तु स्थिति हिसाब 4 से अधिक नहीं, जैसा कि अश्वों, घोड़ों, खच्चरों और गधों की शारीरिक स्थिति के हिसाब के अनुसार इन नियमों की अनुसूची-II में नोट किए गए हैं ।

(ख) प्रत्येक अश्व को अधिकांशतः उसके आराम के समय में चारे की सामग्री दी जानी चाहिए । ये ताजी घास, सूखी घास, भूसा या तिनके जो उपयुक्त हो या अधिमान्य हो दिए जाएं । इसके अतिरिक्त कार्यरत अश्व को 2-4 कि.ग्रा. चने और/ या चने और फली देनी चाहिए जो उनके आकार और दैनिक काम के घंटों पर निर्भर है ।

(ग) प्रत्येक अश्व को प्रतिदिन स्वच्छ और ताजे पेय जल की आपूर्ति से सुगमता से जल प्राप्त हो या अन्य साधनों से उनकी संतुष्टि तक पेय जल की प्राप्ति हो ।

टिप्पणीः

(क) कि एक अश्व की जल की दैनिक आवश्यकता वायु के तापमान, आर्द्रता, शरीर के भार, कार्यकलापों की मात्रा और उन पर निर्भरता के अनुसार न्यूनतम 15 लीटर (गधा) से 70 लीटर (बड़े घोड़े) के क्रम में है ।

(ख) जहां स्वच्छ बहता जल उपलब्ध नहीं है वहां स्वच्छ डिब्बों (नाद, बैरल और बाल्टियों में) कीड़ों, मलबे, गोबर या अन्य गंदी से मुक्त पेय जल मुहैसा कराया जाए।

(5) सज्जा-सामान और काठी:

ड्राइविंग सज्जा-सामान/ घुड़सवारी की काठी जो टूटा हुआ हो या उसका कोई भाग टूट गया हो या कोई हानिकारक निस्सारण हो प्रयुक्त न किया जाए ।

(क) सभी सज्जा-सामान/काठी स्वच्छता और ठीक से मरम्मत की गई हो, बनाई गई हो, कोई आंशिक या वास्तविक हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर मूल सहित वही या बेहतर सामग्री का प्रयोग किया जाए ।

(ख) सभी पैक और घुड़सवारी की काठी न्यूनतम 2.5 से.मी.(1 ईंच) मोटी होनी चाहिए ताकि पैक या काठी के कारण अश्व को कोई चोट न पहुंचे ।

(ग) प्रत्येक घोड़े के लिए गद्दीदार काठी का प्रावधान किया जाएगा जो काठी के आकार के बराबर अथवा उससे बड़ी होगी, तथा उसकी लंबाई यहां तक बढ़ी होगी जहां पर कसन जुड़ी हुई होगी तथा/अथवा काठी पर एक कंबल डाला जाएगा जो काठी के साथ लगने वाले घोड़े के शरीर के खुले हिस्से को पूरी तरह से ढक ले ।

(घ) अधोगामी माल ढोने वाले घोड़ों की काठी में व्यवस्थित, साफ एवं लचीले पुठ्ठे जोड़े जाएंगे, ताकि उसका भार आगे की तरफ न सरके । विशेष रूप से, पशु की पूंछ के नीचे से जाने वाली गांठ मजबूत, नरम एवं नियमित रूप से साफ किये जाने वाले कपडे अथवा चमड़े की होगी । उसे लचीले चमड़े अथवा याक के बालों से बुने कवच से सज्जित किया जाएगा तथा इस तरह का आकार दिया जाएगा कि वो अश्व के नितंबों को नीचे से निकलकर, काठी से इस तरह जुड जाए, जिससे सामान का भार, उसकी पिछली हड्डी पर न पड़कर पिछली टांगों पर पड़े ।

(ड.) उर्ध्वगामी माल ढोने वाले प्रत्येक घोडे को छाती–पट्टिका से सज्जित किया जाएगा, जो काठी के अग्र भाग से जुड़ी होगी, तथा घोड़े के कंधे के सामने से निकाली जाएगी, ताकि उसका भार पीछे की ओर न सरके ।

(च) घुड़सवारी के लिए प्रत्येक काठी अथवा सामान की काठी के साथ–साथ पूरी तरह से लचीले चमड़े अथवा याक के बालों से बुनी हुई अथवा रूई के चौड़े फाहों की कसन का प्रावधान किया जाए जिससे रगड़ न लगे, अथवा जिससे घर्षण न हो अथवा अश्व के दोनों ओर, उसकी टांगों के पीछे अथवा उसके शरीर के नीचे कोई घाव न हो । कसन के निर्माण में किसी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाए ।

(छ) प्रत्येक लगाम एवं रस्सी की अच्छी मरम्मत की जाए तथा उसे घोड़े के सिर के आकार के अनुसार बनाया जाए ताकि उसको अनुकूल बनाया जा सके । कोई हिस्सा, कोई जोड़ अथवा घोड़े के किसी भी तरीके से चोट पहुंचाने वाला कोई खुरदरा सिरा बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए ।

(ज) केवल चिकनी, किनारों से गोल की गई मुखरी का प्रयोग किया जाए । नोकदार और खुरदरी मुखरी अथवा गोलाकार फलक (मुखरी पर गोल की हुई चपटी पट्टी) का प्रयोग नहीं किया जाए ।

मैदान:–

(क) मैदानी क्षेत्रों में, सामान ढोने, घुड़सवारी करने, यात्रा करने एवं अन्य परिवहन के प्रयोजन से किसी घोड़े का इस्तेमाल एक बार में 3 घंटे एवं/अथवा 18 कि0मी0 से ज्यादा नहीं किया जाए ।

(ख) पहाड़ी क्षेत्रों में, उपरोक्त उल्लिखित सीमा एक बार में 1 घंटा एवं/अथवा 6 कि0मी0 हो जाएगी ।

(ग) घोड़े को नियमित अंतराल में चारा एवं पानी दिया जाएगा अथवा पानी की कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में जितनी जल्दी हो सके, बशर्ते की पानी एवं चारे के बीच का अंतराल क्रमशः 3 घंटे एवं 4 घंटे से ज्यादा न हो । इसके अतिरिक्त और कार्य शुरू किए जाने से पूर्व घोड़े को पानी पिलाने के पश्चात् 20 मिनट का आराम एवं चारा देने के पश्चात् 1 घंटे का आराम दिया जाएगा ।

(घ) व्यक्ति अथवा सामान के परिवहन की अधिकतम भार सीमा होगी :

(1) 11 एवं 13 एच एच के मध्य पूर्ण विकसित घोडा अथवा टट्टू

80–90 कि.ग्रा	सामान्य मैदान के लिए
70–80 कि.ग्रा.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए
60–70 कि.ग्रा.	दुरारोह पर्वतों के लिए

(2) 13 एच एच से ऊपर पूर्ण विकसित घोडे अथवा टट्टू के लिए :

90–100 कि.ग्रा.	सामान्य मैदान के लिए
70–80 कि.ग्रा.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए
50–70 कि.ग्रा.	दुरारोह पर्वतों के लिए

(3) 11 एवं 13 एच एच के मध्य पूर्ण विकसित खच्चर :

80–90 कि.ग्रा.	सामान्य मैदान के लिए
60–80 कि.ग्रा.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए
40–60 कि.ग्रा.	दुरारोह पर्वतों के लिए

(4) 13 एच एच से ऊपर पूर्ण–विकसित खच्चर :

.	80–100 कि.ग्रा.	सामान्य मैदान के लिए
.	70–90 कि.ग्रा.	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए
.	50–70 कि.ग्रा.	दुरारोह पर्वतों के लिए

(5) 10 एच एच से ऊपर पूर्ण विकसित गधा :

.	60–80 कि.ग्रा.	सामान्य मैदान के लिए
.	40–60 कि.ग्रा	पर्वतीय क्षेत्रों के लिए
.	30–40 कि.ग्रा.	दुरारोह पर्वतों के लिए

स्पष्टीकरण : एच एच का अर्थ है एक हाथ ऊंचा (एक हाथ ऊंचा, 4 इंच के बराबर होगा तथा घोड़े की ऊंचाई उसकी अगली टांग के खुरो से स्कन्धों तक मापा जाए)

(7) कार्य के घंटे किसी भी घोड़े से 1 दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाए ।

9. निरीक्षण अधिकारी : अनुज्ञाप्तिधारी को छः माह में एक बार अनुज्ञप्त घोड़े को निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रमाणित करने के लिए लाना होगा कि कथित घोड़े को कीटाणु मुक्त किया गया है तथा टीके लगाए गए हैं तथा वह किसी चोट, रोग अथवा बीमारी से पीड़ित नहीं है तथा प्रचालन के योग्य है ।

10. हानिकारक औजार, उपकरण एवं प्रक्षेपक

कोई भी व्यक्ति घुड़सवारी, अथवा घोड़े को लाने ले जाने के लिए, नुकीली छड़ी अथवा नुकीली, तीखी, चकोर अथवा खुरदरे सिरे वाली मुखरी, नुकीले अथवा तेज भुजरोध एड़ का उपयोग नहीं करेगा अथवा प्रक्षेपण के रूप में किसी भी कांटेदार अथवा खुंटियो वाले कवच अथवा जुए का उपयोग नहीं करेगा जिससे घोड़े के शरीर के किसी भी भाग को किसी तरह की चोट पहुचे । घोड़ों को पत्थरों, चट्टानों अथवा अन्य हानिकारक प्रक्षेपकों के ऊपर से नहीं ले जाया जाएगा ।

11. दागना : घोड़े के स्वामी सहित कोई भी व्यक्ति अथवा पारंपरिक चिकित्सक, चिकित्सीय अथवा पहचान के प्रयोजन से लोहे की गर्म छड़, अथवा दागने के लिए अन्य गर्म किए गए औजार से घोड़े के शरीर के किसी भी भाग को किसी भी तरीके से नहीं जलाएगा ।

12 पर्यटन, यात्रा, तीर्थयात्रा एव पदयात्रा अभिकरण एवं उद्योग

कोई भी पर्यटन, यात्रा, तीर्थयात्रा एवं पदयात्रा अभिकरण एव उद्योग अपने प्रयोजनार्थ इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रमाणिक अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति अथवा सहायक अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति की देखरेख के प्रमाणिक अश्व पहचान पत्र वाले घोड़ों के अलावा किसी घोड़े को किराए पर नहीं लेगा या उसका उपयोग नहीं करेगा ।

13. निरीक्षण : यह सुनिश्चित करने के लिए की नियमों का अनुपालन किया जा रहा है निरीक्षण अधिकारी अथवा कांस्टेबल के पद से ऊंची श्रेणी का कोई भी पुलिस अधिकारी इस व्यक्ति से जिसकी अभिरक्षा में घोड़ा हो, से सत्यापन के लिए अनुज्ञप्ति एवं अश्व पहचान पत्र मांग सकते हैं । निरीक्षण अधिकारी किसी भी घोड़े की किसी भी समय अथवा स्थान पर स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उसकी शारीरिक योग्यता की जांच कर सकता है चाहे उस समय कथित घोड़ा परिवहन, घुडसवारी अथवा पद यात्रा अथवा अन्य किसी समान कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो । निरीक्षण अधिकारी अथवा कांस्टेबल से ऊपर की श्रेणी के पुलिस अधिकारी को यह भी सत्यापित करना होगा कि अनुज्ञप्ति की शर्तें तथा नियमों का अनुपालन किया जा रहा है । यदि निरीक्षण अधिकरी अथवा पुलिस अधिकारी देखे कि अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अथवा इन नियमों के अंतर्गत लागू की गई शर्तों का कहीं उल्लंघन किया जा रहा है तो वह उल्लंघनों की रिपोर्ट की प्रति घोडे के स्वामी को देने के पश्चात् अनुज्ञापन अधिकारी को प्रेषित करेगा ।

14. अनुज्ञप्ति का आस्थगन तथा निरसन : निरीक्षण अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी से नियम 13 के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यदि अनुज्ञापन अधिकारी को लगता है कि अनुज्ञप्ति अथवा इन नियमों के अंतर्गत दी गई शर्तों अथवा अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंधन हुआ है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी जांच करने तक अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है तथा सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् दी गई अनुज्ञप्ति रद्द कर सकता है तथा ऐसे आदेश अथवा निदेश जारी कर सकता है जो घोड़े के कल्याण के लिए हों ।

15. अनुज्ञप्ति की अनुलिपियां जारी करना

यदि कोई व्यक्ति इन नियमों के अंतर्गत यह प्रमाण देता है कि मूल अनुज्ञप्ति गुम अथवा नष्ट हो गई है तथा 100 रू0 की फीस का भुगतान करता है तो उसे अनुज्ञप्ति की अनुलिपि जारी की जाए, जो इन नियमों के अंतर्गत मूल अनुज्ञप्ति की तरह ही प्रयोग में लाई जा सकेगी ।

16. **नियमों का उल्लंघनः** यदि मालिक इन नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसे पशुओं के प्रति निर्दयता अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी ।

17. **अन्य नियमः** जिस क्षेत्र में यह नियम विस्तारित है उस क्षेत्र में ऐसे किसी भी मामले में जिनके लिए इन नियमों में प्रावधान किया गया है, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अल्पकाल के लिए किसी कानून के तहत बनाया गया कोई नियम लागू हो तो ऐसा नियम, विनियम अथवा उप-नियम उस सीमा तक लागू होगा, जहां तकः

(1) इसमें ऐसे प्रावधान निहित हो जो अश्व को इन नियमों में निहित प्रावधानों की अपेक्षा कम कष्टप्रद हों,

(2) यदि इसमें निहित प्रावधान, इन नियमों में निहित प्रावधानों की अपेक्षा अश्व को अधिक कष्टप्रद हों, तो वे प्रभावी नहीं होंगे ।

18. **लद्दू (भारवाही) एवं बोझा पशु नियमावली 1965 को अवरुध नहीं किया गया:** इन नियमों के प्रावधान लद्द एवं बोझा पशु नियमावली 1965 के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अपकर्ष में ।

[फा. सं. 1/1/2002-ए. डब्ल्यू. डी.]

वीणा उपाध्याय, संयुक्त सचिव

अनुसूची-I
भारत में पहाड़ी जिलों की तालिका

आंध्र प्रदेश

1. दिबंग घाटी
2. कामंग पूर्व
3. कामेंग पश्चि
4. लोहित
5. सियांग पूर्व
6. सियांग पश्चिम
7. सिबन्सरी निचला
8. सिबंसरी उपरी
9. तिराप

हिमाचल प्रदेश

1. बिलासपुर
2. चम्बा
3. हमीरपुर
4. कांगड़ा
5. किनौर
6. कुल्लू
7. लाहौली स्पिती
8. मंडी
9. शिमला
10. सिरमौर
11. सोलन
12. ऊना

जम्मू एवं कश्मीर

1. अनन्तंग
2. बारामूल्ला
3. चिलास
4. गिलगिट
5. गिलगिटवजार्रट
6. जम्मू
7. कठुआ
8. लद्दाख
9. मीरपुर
10. मुज्जफराबाद
11. पुंज
12. रायसी
13. त्रिबली-शासन
14. उधमपुर

कर्नाटक

1. चिकमंगलूर
2. कन्नाड़ा दक्षिणा
3. शिमांगो
4. कन्नाडा उत्तरा
5. कोडागु

केरल

1. कन्नौर कोजीकोडा
2. व्यनाड

3. अरुणाकुल्लम
4. इडुकी
5. मल्लापुरम
6. पलघट
7. क्वीलॉन
8. त्रिवेन्द्रम

महाराष्ट्र

1. कोल्हापुर
2. नासिक
3. पुणे
4. रत्तनगिरी
5. सतारा

मणिपुर

1. मणिपुर पूर्व
2. मणिपुर उत्तर
3. मणिपुर दक्षिणी
4. मणिपुर पश्चिम
5. मणिपुर केन्द्रीय एवं तैंगनॉन पाल

मेघालय

1. गैरो हिल्स पूर्व
2. गैरा हिल्स पश्चिम
3. जैन्तिया हिल्स
4. खासी हिल्स पूर्व
5. खासी हिल्स पश्चिम

मिजोरम

1. ऍजवाल
2. छिम्मतु पुई
3. लंगलेई

नागालैंड

1. कोहिमा
2. मॉन
3. म्होकोकचुंग
4. फेक
5. तुंगसांग
6. वोखा
7. जुनेहेबैंतो

सिक्किम

1. सिक्किम उत्तरी
2. सिक्किम दक्षिणी
3. सिक्किम पूर्वी
4. सिक्किम पश्चिमी

तमिलनाडु

1. मदुरै
2. नीलगिरी
3. कोयम्बटूर
4. कन्याकुमारी

त्रिपुरा

1. उत्तरी त्रिपुरा
2. दक्षिणी त्रिपुरा
3. पश्चिमी त्रिपुरा

उत्तरांचल

1. उत्तरकाशी
2. चमौली
3. देहरादून
4. पौढ़ी
5. पिथौरगढ़
6. टिहरी गढ़वाल
7. उत्तरकाशी
8. नैनीताल
9. रुद्र प्रयाग
10. चम्पावट
11. बागेश्वर

पश्चिम बंगाल

1. दार्जिलिंग

अनुसूची-II

(घोड़ा व खच्चरों के लिए) शारीरिक स्थिति आकलन

टिप्पणीः- स्थिति आकलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे प्रयोग किए जाएंगे ।

स्थिति आकलन- 0 (अति दयनीय)

श्रोणि	:	1) कोणीय, चुस्त 2) अति ढालू पुट्ठा 3) पूंछ के नीचे गहरी गुहिका
पीठ एवं पसल्लियां	:	1) आसानी से दृश्य पसल्लियां 2) अति सुस्पष्ट एवं तीक्ष्ण रीढ़ की हड्डी
गर्दन	:	1) चिन्हित भेड़ी गर्दन 2) भेड़ी गर्दन, आधार पर तंग व ढीली

स्थिति आकलन- 1 (दयनीय)

श्रोणि	:	1) प्रमुख श्रोणि एवं पुट्ठा 2) ढालू पुट्ठा परन्तु चमड़ी सुनम्य 3) पूंछ के नीचे गहरी गुहिका
पीठ एवं पसल्लियां	:	1) पसल्लियां आसानी से दृश्य 2) सुस्पष्ट रीढ की हड्डी जो दोनों ओर ढलकी हुई चमड़ी सहित हो
गर्दन	:	1) भेड़ी गर्दन, आधार पर तंग एवं ढीली

स्थिति आकलन-2 (संयत)

श्रोणि	:	1) रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर सुनम्य सीधी 2) पुट्ठा सुस्पष्ट, कुछ उभार सहित 3) पूंछ के नीचे कुछ गुहिका
पीठ एवं पसल्लियां	:	1) पसल्लियां मात्र दृश्य 2) रीढ़ की हड्डी ढकी हुई परन्तु पृष्ठवंश महसूस किया जा सकता है

गर्दन 1) तंग परन्तु दृढ़

स्थिति आकलन-3 (अच्छी)

श्रोणि : 1) चर्बी से ढकी हुई और गोलाकृत
2) कोई नाबदान नहीं
3) श्रोणि सुगमता से महसूस की जाए

पीठ एवं पसल्लियां : 1) पसल्लियां मात्र ढकी हुई व आसानी से महसूस की जाएं
2) पीठ के साथ कोई नाबदान नहीं
3) रीढ़ की हड्डी पूर्णतः ढकी हुई पर पृष्ठवंश महसूस किया जा सके

गर्दन : 1) कोई कलगी नहीं (सांडों हेतु इत्तर)
सुदृढ गर्दन

स्थिति आकलन-4 (चर्बी)

श्रोणी : 1) पूंछ की जड़ की ओर नाबदान
2) श्रोणि सुकोमल चर्बी से ढकी हुई
3) महसूस करने के लिए सुदृढ़ दबाव आवश्यक

पीठ एवं : 1) पसल्लियां भली प्रकार ढकी हुई-महसूस करने के लिए दबाव आवश्यक

गर्दन : 1) मामूली कलगी
2) चौड़ी एवं सुदृढ़

स्थिति आकलन-5 (अति चर्बी)

श्रोणि : 1) पूंछ की जड़ की ओर गहरी नाबदान
2) चमड़ी फैली हुई
3) श्रोणि गड़ी हुई, महसूस नहीं की जा सके

पीठ एवं पसल्लियां : 1) पसल्लियां गड़ी हुई तथा महसूस नहीं की जा सकें
2) पीठ के साथ गहरी नाबदान
3) पीठ चौड़ी एवं सीधी

गर्दन : 1) कलगी चिन्हित, बहुत चौड़ी तथ सुदृढ़, चर्बी की परत

शारीरिक स्थितिः (गधों तथा खच्चरों के लिए)

स्थिति आकलन 0 (अति दयनीय)

श्रोणि : 1) बहुत ढला हुआ पुट्ठा
2) पूंछ के नीचे गहरी गुहिका
3) हड्डियों पर चुस्त

		4)	अति प्रमुख श्रोणी
पीठ और पसलियां	:	1)	अति प्रमुख रीढ की हड्डी
गला	:	1)	अंकित भेड़ (पतली, अवतल) गला

स्थिति गणना–1(खराब)

श्रोणी	:	1)	दबा हुआ पुटठा
		2)	पूछ के नीचे गुहिका (कोष्ठ)
पीठ और पसलियां	:	1)	सुगमता से दिखाई देने वाली पसलियां
		2)	उन्नत रीढ की हडडी एवं पुटठा
गला	:	1)	भेड (पतली, अवतल) गला, संकरा(छोटा) एवं ढीला

स्थिति गणना –2(मध्यम)

श्रोणी	:	1)	रीढ की हडडी के दोनों ओर समतल पुटठा
पीठ एवं पसलियां		: 1)	दिखाई देने वाली पसलियां
		2)	अच्छी तरह से ढकी हुई रीढ की हडडी
गला		1)	संकीर्ण लेकिन सुदृढ गला

स्थिति गणना–3 (अच्छा)

श्रोणी	:	1)	गोलाकार पुटठा
पीठ	:	1)	ढकी हुई एवं सरलता से महसूस की जाने वाली पसलियां
गला	:	1)	पतला शीर्ष, सुदृढ गला

स्थिति गणना–4 (मोटा)

श्रोणी	:	1)	गोलाकार पुटठा
पीठ	:	1)	पीठ के साथ लगी मोरी
		2)	मजबूत पसलियों का अनुभव करना
गला	:	1)	सख्त शिखा के साथ मोटी गरदन

स्थिति गणना–5 (बहुत मोटी)

श्रोणी	:	1)	नितंबों के बीच अति उभरे हुए पुटठों के साथ पूंछ
पीठ एवं पसलियां		1)	अधिक पीछे गहरी मोरी
		2)	दबी हुई पसलियां

गला : 1) सामन्यतया एक तरफ गिरी हुई सघन चोटी सहित भारी गर्दन

2) शरीर पर लिपटे हुए मोटे पिंडक

फार्म–1

अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र का प्रपत्र

यहां पर मालिक का फोटो चिपकाया जाए

1. आवेदक का नाम :
2. पता :
3. दूरभाष संख्या(यदि कोई) :
4 किसके लिए अनुज्ञापी की गई :
5 अनुज्ञापी शुल्क के भुगतान का प्रकार :
6. अश्वों की कुल संख्या जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवेदन किया है :
7. अश्वों के ब्यौरे

कालम. 1	कालम. 2	कालम. 3	कालम. 4	कालम. 5	कालम. 6	कालम. 7
अश्व संख्या	श्रेणी एवं किस्म	लिंग (नर/मादा)	आयु	पहचान चिन्ह	अश्व की सामान्य स्थिति	स्थिति गणना

टिप्पणी : कालम 6 तथा 7 निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरे जाए ।

8. घोषणा

एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

निरीक्षण अधिकारी की अभ्यूक्तियां

मैने वास्तविक रूप में कम संख्या ----------के घोड़े की सामान्य स्थिति एवं स्थिति गणना की जांच की है और इसे इस तारीख पर संतोषजनक/असंतोषजनक पाया है तथा मैं एतद्द्वारा आवेदक को अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति/अनुदान अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु सिफारिश करता हूं/सिफारिश नहीं करता हूँ ।

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान

फार्म–2

अनुदान आश्रित अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन आरूप

यहां पर अनुदान आश्रित अश्व प्रचालक का फोटो चिपकाया जाएं

1. आवदेक का नाम :
2. पता :
3. दूरभाष संख्या(यदि कोई हो) :
4. किसके लिए अनुज्ञप्ति की गई :
5. अनुज्ञाप्ति शुल्क भुगतान का प्रकार:
6. अश्वों की कुल संख्या जिसके लिए अनुदान आश्रित अनुज्ञप्ति आवेदन किया है : :
7. नाम एवं अश्व प्रचालक अनुज्ञप्ति धारक का पता :
8 अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति का ब्यौरा : जैसे:

(1) जारी करने की तारीख

(2) समाप्ति की तारीख

(3) अनुज्ञप्ति संख्या

9. अश्वों के ब्यौरे

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6	कॉलम 7
अश्व की संख्या	श्रेणी एवं किस्म	लिंग (नर/मादा)	आयु	पहचान चिह्न	अश्व की सामान्य स्थिति	स्थिति गणना

टिप्पणी: कॉलम 6 एवं 7 निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरे जाएंगे ।

10. प्रायिक स्थल तथा अश्व के प्रयोग का स्थान:

11. घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

दिनांक: आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान:

निरीक्षण अधिकारी की अभ्युक्तियां

मैंने वास्तविक रूप से क्रम सं. के अश्व की सामान्य स्थिति एवं स्थिति गणना की जांच की है और इसे इस तारीख पर सन्तोषजनक/असन्तोषजनक पाया है तथा मैं एतद्द्वारा आवेदक को अनुदान-आश्रित अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु सिफारिश करता हूँ/सिफारिश नहीं करता हूँ ।

दिनांक: निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
स्थान:

फार्म-3

अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति का प्रपत्र

सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा पशु कल्याण मंत्रालय

1. अश्व प्रचालन लाइसेंस का नम्बर :

2. जारी करने की तिथि :

यहां अश्व प्रचालक का फोटो चिपकाया जाए ।

3. समाप्ति की तिथि :

4. मालिक का पता :

5. दूरभाष (यदि कोई हो) :

6. अनुज्ञापी की जन्म तिथि :

7. अश्व की संख्या (किस्म के अनुसार) :

8. अश्वों का प्रायिक स्थल :

दिनांकः
स्थानः

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर)

फार्म-4

अनुदान आश्रित अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति का प्रपत्र

सांख्यिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा पशु कल्याण मंत्रालय

1. अनुदान आश्रित अश्व प्रचालन लाइसेंस का नम्बर :

यहां अनुदान आश्रित अश्व प्रचालक का फोटो चिपकाया जाए ।

2. जारी करने की तिथि :

3. समाप्ति की तिथि :

4. अनुदान आश्रित स्वामी का पता :

5. दूरभाष (यदि कोई हो) :

6. अनुज्ञापी की जन्म तिथि :

7. अश्वों की संख्या (किस्म के अनुसार) :

8. अश्वों का प्रायिक स्थल :

9. प्रमुख अश्व प्रचालक से संबंधित अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति का नम्बर

दिनांकः
स्थानः

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर)

फार्म - 5

अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति/अनुदान आश्रित अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

यहां मालिक का फोटो चिपकाया जाए ।

1. आवेदक का नाम :

2. पता :

3. दूरभाष नम्बर (यदि कोई हो) :

4. नवीनीकरण हेतु आवेदित अनुज्ञप्ति
   क. अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :
   ख. अनुदान-आश्रित अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :

5. पिछले अनुज्ञप्ति का नम्बर :

6. लाइसेंस फीस भुगतान का तरीका :

7. अश्वों की कुल संख्या जिसके लिए नवीनीकरण का आवेदन किया गया :

8. अश्वों के ब्यौरे :

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6	कॉलम 7
अश्व की संख्या	श्रेणी एवं किस्म	लिंग (नर/मादा)	आयु	पहचान चिह्न	अश्व की सामान्य स्थिति	स्थिति गणना

टिप्पणी: कॉलम 6 तथा 7 निरीक्षण अधिकारी द्वारा भरे जाएं ।

9. अश्वों के प्रयोग के प्रायिक स्थल एवं स्थान :

10. घोषणाः

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः
स्थानः

निरीक्षण अधिकारी की अभ्युक्तियां

मैंने वास्तविक रूप से क्रम सं. के अश्व की सामान्य स्थिति एवं स्थिति गणना की जांच की है और इसे इस तारीख पर सन्तोषजनक/असन्तोषजनक पाया है तथा मैं एतद्द्वारा आवेदक को अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति/अनुदान आश्रित अश्व प्रचालन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु सिफारिश करता हूँ/सिफारिश नहीं करता हूँ ।

दिनांकः
स्थानः

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2002

S.O. 630(E).— The following draft of certain rules, namely the Prevention of Cruelty to Transporting. Riding and Trekking Equine Rules, 2002 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Prevention of Cruelty to animals Act, 1960 (59 of 1960), is hereby published as required by sub section (1) of the said section for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said draft rules, may forward the same within thereby dates as aforesaid to the Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, Sardar Patel Bhawan, New Delhi. The objections or suggestions received before the expiry of the period specified above shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement :-** (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Transporting, Riding and Trekking Equine Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions:** - In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Equine Operating License" means a license granted to an owner under these rules;

(b) "Hill Areas" means all hill districts including those mentioned in Schedule-I;

(c) "Inspecting Officer" means an officer authorised by the Prescribed Authority or the Licensing Authority or the members of any other animal welfare organisation registered with the Animal Welfare Board of India who have been authorised to inspect by the Prescribed Authority;

(d) "Licensing Authority" means such officers of the veterinary department of the State or Union Territory or a Local Authority and includes any animal welfare organization registered with the Animal Welfare Board of India that the Central Government may by general or specific order appoint;

(e) "Local Authority" means a Municipal Corporation, Municipal Committee, District Board, Notified Town Areas, Cantonment Board, Sub Divisional Magistrate, Block Development Officer or other authority for the time being vested by law with the control and administration of any matters within a specified local area;

(f) "Owner" used with reference to an animal, includes not only the owner but also any other person for the time being in possession or custody of the animal, whether with or without the consent of the owner.

(g) "Plain Areas" means all districts and areas which are not specified in Schedule-I;

(h) "Prescribed Authority" means the Central Government or the State Government or the Animal Welfare Board of India or such other authority as the Central Government by general or by specific order appoint;

(i) "Subsidiary Equine Operating License" means a license granted to any person operating an equine on behalf of a licensed equine operator;

(j) "Transporting, Riding and Trekking Equines" means and includes all Equines including Ponies, Horses, Mules, Donkeys whether male or female, which are used for any purpose including transporting or riding or trekking;

(k) "Riding Equine" means and includes those equines which are hired or let out for individual or group transport whether local or distant including those equines which are used for riding lessons or competition or joy rides;

(l) "Trekking Equine" means those equines used for bearing any personal effects of or materials or supplies for individuals or groups traveling on foot, or mounted, through remote regions;

(m) "Transporting Equine"; means those equines which are used for carrying any person or goods for one place to another.

3. **Prohibition of use of Equines**-(1) No person shall use any equine for the purpose of transporting or riding or trekking or as any other means of transporting person or goods from one place to another which is:

(i) affected with any illness, or disease which is contagious; or
(ii) infectious or parasitic, or otherwise, or with any injury, or muscular or skeletal deformity; or
(iii) less then 3 years of age; or
(iv) pregnant; or
(v) judged to have a Condition Score of less than 2 or greater than 4, according to the Body Condition Scoring of Equines as prescribed in Schedule-II of these Rules.

(2) No person shall use any equine for the purpose of transporting or riding or trekking or as any other means of transporting person or goods from one place to another whose hooves are;

(i) in a broken, elongated, twisted or diseased condition or
(ii) not trimmed properly; or
(iii) require re-shoeing.

Explanation – For the Purpose of this rule, -

(i) "deformity" includes the distortion of any internal or external organ or body system. Deformity or ear pinnae, tail, (if they are not infected with disease and if there is no exposure of skin), small benign tumors (not more than 1" in diameter), permissible variation in body shape (to be certified by licensing authority) would be excluded;
(ii) "Injury" includes damage to any soft tissue, cartilage, skin, muscle, ligament or tendon, or fracture, or breakage of any bone or joint.

4. **Prohibition on use of Equines without license,-** No owner of an equine shall use the equine for transporting or riding or trekking or as a mean of transporting goods or persons from one place to another unless he has obtained a Equine Operating License or the person operating the equine on behalf of the owner of the equine has obtained a Subsidiary Equine Operating License.

5. **Grant of License,-** (1) An application for the grant of an Equine Operating License or Subsidiary Equine Operating License shall be made to the Licensing Authority in Form-1 and form-2 respectively as appended to these rules, which shall contain such particulars as given in form 1 and 2 and be accompanied by fee of Rs. 200/- per application.

(2) On receipt of an application the Licensing Authority shall call for a report from the concerned Inspecting officer or call for such other information as the Authority deems proper and shall satisfy itself on the following:

(a) that the condition score of the equine is not less than 2 nor greater than 4 according to the Body Condition Scoring of Equines,

horses, mules and donkeys as specified in Schedule-II of these rules;

(b) that there is no illness, injury or deformity in the equine in general;

(c) that there is no illness, injury or deformity in the eyes (vision has to be normal), teeth, genitalia, hooves and all four legs in particular, of the equine.

(3) The Licensing Authority after being satisfied by the said report and the information if any, received, may grant a Equine Operating License or Subsidiary Equine Operating License as applied for, in Form 3 and 4 respectively as appended to these rules.

Posited that before such rejection, the applicant shall be given an operating of being head.

(4) If the applicant does not fulfill the conditions specified in sub rule (2) of this rule, the licensing authority shall reject the application for grant of license provided that before such rejection the applicant shall be given and opportunity of being heard.

6 **Equine Identity Card.-** The Licensing Authority while granting equine operating license shall also issue an equine identity card to the applicant containing the following particulars, namely:-

(a) a frontal and a side photograph of the equine;
(b) written and illustrated indications of any distinguishing marks (artificial or natural) on the body of the equine;
(c) age, height, current weight and condition score.
(d) name and address of the owner
(e) the equine operating license number of the owner along with date of expiry.

7. **Duration and Renewal of License , -**(1) A license issued under sub-rule (3) of rules 5 shall, unless revoked earlier, shall be valid for a period of three years from the date on which it was granted:

Provided that such license may be granted for a shorter period if the licensing authority considers that it would be in the welfare of the animal that the license be granted for a shorter period.

(2) Subject to the provisions contained in sub-rule (1), the owner may apply for renewal of the license granted under rule 5 in Form-5 along with renewal fee of Rs.100/=

(3) The license granted by the Licensing Authority shall be carried by the licensee at all times when the licensee is operating his equine.

8. **Terms and Conditions of Licensee.-** The Licensing Authority while granting the license may impose the following conditions, beside such other conditions as it may deem fit to impose. The licensee shall ensure that:-

(1) **Health**:_____

(a) No ill, injured, deformed or mutilated equine is used for the purpose of carrying, pilgrimage, riding and/or trekking or as any other means of transporting person or goods from one place to another.

(b) The licensee of any equine traveling more than five (5) kms from its home base shall carry the first-aid box for applying First-Aid to any ill or injured equine in his/her charge comprising items available from any local State Veterinary or Compounder's Office; Society for Prevention of Cruelty to Animals or other animal welfare agency, or from local chemists, for treating wound or injury immediately. Each Equine First-Aid Kit shall comprise: scissors; equine antiseptics (liquid and ointments), and dressing materials i.e. cotton wool, gauze padding, bandages, and adhesive plaster.

(c) Any equine that becomes ill, wounded or injured in the course of its use must be immediately halted and examined. If the equine is seriously injured and cannot be moved (e.g. due to a bone fracture or breakage), it shall be provided with such food, water, and protection from heat or cold that is available, while arrangements are made to obtain professional assistance as rapidly as possible. If the equine can be moved, it should be taken carefully to the nearest settlement where arrangements shall be made for its feeding, watering and safe-keeping until veterinary services can be obtained.

(2). **Shelter:**

According to location, season and weather conditions, and other than for equines pastured in wilderness areas ('jungle'), appropriate shelter, is provided to protect them from heat, cold, windy and wet weather, with sufficient space to lie down with head, neck and legs extended, and is kept clean and dry at all times, free of manure and debris such as wire, rope string, plastic or other similar materials, which could be harmful to them.

(3). **Unenclosed Compounds, 'Picket Lines' and Other Tethering Places:-**

The ground of any place where equines are either loosely held, or are tethered to 'picket lines' (a rope running along the ground between two or more pegs, to

which an equine is tied), trees, posts, etc., shall be kept clean and dry at all times, free of manure and debris such as wire, rope, string, plastic or other similar materials, which could be harmful to them.

(4). **Feed and Water:-**

Each equine shall be provided with food and water sufficient for its daily needs, and no food nor water may contain any substances which may cause them suffering or injury.

(a) Each equine, whether at work or rest shall have a sufficient quantity of nutritious feed to maintain it at the minimum of Condition Score 2, but not greater than Condition Score 4, according to the Body Condition Scoring of Equines: horses, mules and donkeys as noted in Schedule-II of these Rules;

(b) Each equine shall have access to forage feed during most of its non active hours. This maybe fresh grass, hay, chaff, or straw as appropriate or preferred. In addition working equines must receive, 2- 4 kgs + of grain, and/or grain and legumes, daily depending upon size and hours of work.

(c) Each equine shall either have access to a suitable supply of clean and fresh water drinking water each day, or be able to satisfy their fluid intake needs by other means.

Note:

(a) That an equine's water requirements may range from a minimum of 15 liters (donkeys) to 70 litres, (large horses) daily, depending upon air temperature, humidity, bodyweight, amount of activity, and health.

(b) Where fresh, running water is not available, water shall be provided in clean containers (troughs, barrels, or buckets), free of parasites, debris, manure, or any scum.

(5). **Harness and Saddlery:**

No driving harness, pack or riding saddle, that is broken or any part thereof is broken or has any harmful protrusions shall be used.

(a) All harness/saddlery repairs must be cleanly and neatly made, using the same or better, material as the original with no potential or actually harmful protrusions;

(b) All pack and riding saddles must have a padding of minimum 2.5 cm (1") thickness so that no injury is caused to equine due to pack or saddle.

(c) Every equine must be provided with either a saddle pad equal to, or greater than the surface area of the saddle, and extending downwards below the point where the girth is attached, and/or a saddle blanket sufficient to cover all exposed areas liable to be in contact with the saddle.

(d) Every equine used for carrying any load down hill shall be fitted with a properly adjusted, clean and supple *crupper* attached to its saddle to prevent its load from sliding forward. In particular, the loop passing under the equine tail must be of firm, soft and regularly cleaned material: leather or cloth. It shall also be fitted with a harness made either of supple leather or woven yak hair, designed to pass around the equine buttocks and attached to the saddle insuch a way that the weight of the load, rather than being on the tail bone is taken up by the back of the hind legs;

(e) Every equine used for carrying any load up-hill shall be fitted with a breast-plate, connected to the front of the saddle and passing in front of the equine's shoulders to prevent its load from sliding backwards;

(f) Every riding or pack saddle shall be provided with a girth made of clean and sufficiently supple material: leather, woven yak hair, or wide cotton webbing, that cannot rub, chafe, or cause any sores to the equine sides, the back of its legs or under its body. No plastics may be used in the construction of girths.

(g) Every bridle and halter must be in good repair, fitted to the size of the equine's head and properly adjusted. Without protruding parts, attachments, or rough edges able to harm any part of the equine's head in any manner;

(h) Only smooth, rounded bits may be used. Square, sharp, twisted, pointed or rough edged bits, or those using roundels, (rounded flat metal disks on the body of the bit), shall not be used

(6). **Terrain**:-

(a) In the case of plains areas, no equine shall be used for carrying, riding, trekking and other transportation purpose for more than 3 hours and/or 18 km. In a single stretch.

(b) In the case of hill areas the above-mentioned limit shall be 1 hours an/or 6 kms in a single stretch.

(c) The equine shall be given feed and drinking water at regular intervals or in areas of sparse water supplies, as soon as possible, provided that the gap between two drinking and gap between two feeding shall not be more than 3 hours and 4 hours respectively. Further a break of

20 minutes after drinking of water and a break of 1 hour after feeding shall be given to the equine before the commencement of further use.

(d) The maximum person or goods transporting load limit shall be:

(i). Fully-grown horse or pony between 11 and 13 hh:

- 80-90 kg for normal terrain
- 70-80 kg for hill areas
- 60-70 kg for steep hills

(ii). Fully-grown horse or pony over 13hh shall be:

- 90-100 kg for normal terrain
- 70-90 kg for hill areas
- 50-70 kg for steep hills.

(iii). Fully-grown mule between 11 and 13hh shall be:

- 80-90 kg for normal terrain
- 60-80 kg for hill areas
- 40-60 kg for steep hills

(iv). Fully-grown mule over 13 hh shall be:

- 80-100 kg for normal terrain
- 70-90 kg for hill areas
- 50-70 kg for steep hills

(v). Fully-grown donkey over 10hh shall be:

- 60-80 kg for normal terrain
- 40-60 kg for hill areas
- 30-40 kg for steep hills.

Explanation: hh means hand high (one hand high will be 4 inches and equine will be measured for its height from hooves of front leg upto withers.

(7) **Work Hours.-** No equine shall work for more than 8 hours in a day.

9. **The Inspecting Authority.-** The Licensee at least once in every six months shall produce the licensed equine before the Inspecting Officer for inspection for

certifying that the said equine has been dewormed, inoculated and does not suffer from any injury disease or illness and is fit for operation.

10. **Harmful Instruments, Equipment and Projectiles.**-No person shall for the purpose of driving, leading or riding any equine, use a spiked stick or spiked sharp square or rough-edged bit, pointed or sharp wheeled spurs, or use any harness or yoke with spikes or knobs as projections, or any other sharp tack or equipment, which causes or is liable to cause any form of injury to any part of an equines body. Equines shall not be driven forward or away with stones, rocks, or other harmful projectiles.

11. **Branding.**-No person including the equine owner or traditional healer, for assumed therapeutic or identification purposes, use a hot iron, or other heated instrument to brand , burn or make in any manner any part of an equine's body.

12. **Tourism, Travel, Pilgrimage and Trekking Agency or Industry.**-No Tourist, Travel, Pilgrimage or Trekking Agency or Industry shall hire or use any equine for their purpose excepting those equines which have a valid equine identity card belonging to a person holding a valid equine operating license or a subsidiary equine operating license as prescribed under these Rules

13. **Inspections.**-For the purpose of ensuring that the rules are being complied with the Inspecting Officer or any police officer above the rank of constable may call upon the person in whose custody the equine is found to produce the license and equine identity card for verification. The Inspecting Officer can inspect any equine at any time and place irrespective of whether the said equine is transporting or riding or trekking or being used for other similar purposes to satisfy himself about the physical fitness of the said equine. The Inspecting Officer or any Police Officer above the rank of Constable shall also verify that the terms and conditions of the license as well as the rules are being complied with. If the Inspecting Officer or the police officer is of the opinion that there is a breach of any of the conditions imposed under the license or these rules he shall send a report of the violation to the Licensing Authority after giving a copy of such report to owner of the equine.

14. **Suspension and Cancellation of License.**- After receipt of the report of inspection by the inspecting officer or the Police officer under rule 13, if the Licensing Authority is of the opinion that there is a violation of any terms or conditions imposed under the license or these rules or any other provision of the Act, the Licensing Authority may suspend the license pending enquiry and after granting an opportunity of hearing revoke the license so granted and issue such orders or directions as it may consider proper for the welfare of the equine.

15. **Issue of Duplicate copies of license.**-Any person who has been granted a license under these Rules may on proof by him that the original license has been lost or destroyed and on payment of a fee of one hundred rupees be given a duplicate

copy of the license, which for the purpose of these Rules shall have the same effect as the original license.

16. **Contravention of rules.-** If the owner violates any of the provision of these rules, he shall be punishable under the provisions of the Preventions of Cruelty to Animals Act, 1960.

17. **Other Rules.-**If there is in force in any area to which these rules extend, any rule, regulation or by-law made under any law for the time being in force by any local authority in respect of any of the matters for which provision is made in these rules, such rule, regulation or bye law shall to the extent to which:

(1) It contains provisions less irksome to the equine than those contained in these rules, prevail.

(2) It contains provisions more irksome to the equine than those contained in these rules, be of no effect.

18. **Application of the Draught and Pack Animal Rules, 1965 not barred.-** The provisions of these rules shall be in addition to, and not in derogation of, the Draught and Pack Animal rules, 1965.

[F. No. 1/1/2002-AWD]

VEENA UPADHYAYA, Jt. Secy.

Schedule – I
List of Hill Districts In India

Arunachal Pradesh

1. Dibang Valley
2. Kameng East
3. Kameng West
4. Lohit
5. Siang East
6. Siang West
7. Subansiri Lower
8. Subansiri Upper
9. Tirap

Himachal Pradesh

1. Bilaspur
2. Chamba
3. Hamirpur
4. Kangra
5. Kinnaur
6. Kullu
7. Lahaul Spiti
8. Mandi
9. Shimla
10. Sirmaur
11. Solan
12. Una

Jammu & Kashmir

1. Anantnag
2. Baramula
3. Chilas
4. Gilgit
5. Gilgitwzart
6. Jammu
7. Kathua
8. Ladakh
9. Mirpur
10. Muzaffarabad
11. Punch
12. Riasi
13. Tribal -Territory
14. Udhampur

Karnataka

1. Chikmaglur
2. Kannada Dakshina
3. Shimoga
4. Kannada Uttara
5. Kodagu

Kerala

1. Cannanore Kozhikode
2. Wynad
3. Ernakulam
4. Idukki
5. Malappuram
6. Palghat
7. Quilon
8. Trivandrum

Maharashtra

1. Kolhapur
2. Nasik
3. Pune
4. Ratnagiri
5. Satara

Manipur

1. Manipur East
2. Manipur North
3. Manipur South
4. Manipur West
5. Manipur Central & Tengnon Pal

Meghalaya

1. Garo Hills East
2. Garo Hills West
3. Jaintia Hills
4. Khasi Hills East
5. Khasi Hills West

Mizoram

1. Aizwal
2. Chhimtuipui
3. Lunglei

Nagaland

1. Kohima
2. Mon
3. Mokokchung
4. Phek
5. Tuensang
6. Wokha
7. Zunheboto

Sikkim

1. Sikkim North
2. Sikkim South
3. Sikkim East
3. Sikkim West

Tamil Nadu

1. Madurai
2. Nilgiri

3. Coimbatore
4. Kanyakumari

Tripura

1. North Tripura
2. South Tripura
3. West Tripura

Uttranchal

1. Uttarkashi
2. Chamoli
3. Dehradun
4. Pauri
5. Pithoragarh
6. Tehri Garhwal
7. Uttar Kashi
8. Nainital
9. Rudraprayag
10. Champawat
11. Bageshwar

West Bengal

1. Darjeeling

Schedule – II

Body Condition Score (for horses and mules)

Note : Following details will be used for establishing condition scoring

Condition score – 0(very poor)

Pelvis
1) Angular, skin tight
2) Very sunken rump
3) Deep cavity under tail

Back and ribs :
1) Skin tight over ribs
2) Very prominent and sharp Backbone

Neck :
1) Marked ewe neck
2) Narrow and slack at base

Condition score – 1 (Poor)

Pelvis :
1) Prominent pelvis and croup
2) Sunken rump but skin supple
3) Deep cavity under tail

Back and ribs :
1) Ribs easily visible
2) Prominent backbone with skin sunken on either side.

Neck :
1) Ewe neck, narrow and slack at base

Condition score – 2 (Moderate)

Pelvis :
1) Rump flat either side of backbone
2) Croup well defined, some fat
3) Slight cavity under tail

Back and ribs : 1) Ribs just visible
2) Backbone covered but spines can be felt

Neck : 1) Narrow but firm

Condition score – 3 (Good)

Pelvis : 1) Covered by fat and rounded
2) No gutter
3) Pelvis easily felt

Back and ribs : 1) Ribs just covered and easily felt
2) No gutter along back
3) Backbone well covered but spines can be felt

Neck : 1) No crest (except for stallions) firm neck

Condition score – 4 (Fat)

Pelvis : 1) Gutter to root of tail
2) Pelvis covered by soft fat
3) Need firm pressure to feel

Back and ribs : 1) Ribs well covered – need pressure to feel

Neck : 1) Slight crest
2) Wide and firm

Condition score – 5 (Very Fat)

Pelvis : 1) Deep gutter to root of tail
2) Skin distended
3) Pelvis buried, cannot be felt

Back and ribs : 1) Ribs buried, cannot be felt
2) Deep gutter along back
3) Back broad and flat

Neck : 1) Marked crest very wide and firm fold of fat

Body condition score (for donkeys and ponies)

Condition score – 0 (Very poor)

Pelvis : 1) Very sunken rump
2) Deep cavity under tail
3) Skin tight over bones

		4)	Very prominent pelvis
Back and ribs	:	1)	Very prominent back bone
Neck	:	1)	Marked ewe (thin, concave) neck

Condition score – 1 (Poor)

Pelvis	:	1)	Sunken rump
		2)	Cavity under tail
Back and ribs	:	1)	Ribs easily visible
		2)	Prominent back bone and croup
Neck	:	1)	Ewe (thin, concave) neck, narrow and Slack

Condition score – 2 (Moderate)

Pelvis	:	1)	Rump flat on either side of the back bone
Back and ribs	:	1)	Ribs just visible
		2)	Back bone well covered
Neck	:	1)	Narrow but firm neck

Condition score – 3 (Good)

Pelvis	:	1)	Rounder rump
Back and ribs	:	1)	Ribs covered but easily felt
Neck	:	1)	Slight crest, neck firm

Condition score – 4 (Fat)

Pelvis	:	1)	Rump well-rounded
Back and ribs	:	1)	Gutter along back
		2)	Ribs hard to feel

Neck	:		
		1)	Neck thick with hard crest

Condition score – 5 (Very Fat)

Pelvis	:	1)	Very bulging rump with tail set between buttocks
Back and ribs	:	1)	Deep gutter along back
		2)	Ribs buried
Neck	:	1)	Heavy neck with thick crest probably fallen to one side
		2)	Folds and lumps of fat on body

Form-1

Application format for Equine Operating License

1. **Name of the Applicant** :

2. **Address** :

Photograph of the owner to be pasted here

3. **Telephone Number (if any)** :

4. **License Applied for** :

5. **Mode of License Fee Payment** :

6. **Total Number of Equines for which license applied** :

7. Details of Equines

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Equine No.	Category & Type	Sex (M/F)	Age	Identification Mark	General Condition of Equine	Condition Score

Note: Col. 6 & 7 will be filled by Inspecting Officer

8. Usual Location & Place of use of Equines :

9. Declaration

I hereby declare that the information given above are true and to the best of my knowledge.

Date: **Signature of the Applicant**
Place:

Remarks of Inspecting Officer

I have physically verified the General Condition & Condition Score of Equine at S.No. and found it satisfactory/unsatisfactory as on the date and I hereby recommend/donot recommend the applicant for Grant of Equine Operating License.

Date: **Signature of the Inspecting Officer**
Place:

Form-2

Application format for Subsidiary Equine Operating License

Photograph of the subsidiary equine operator to be pasted here

1. Name of the Applicant :

2. Address :

3. Telephone Number (if any) :

4. License Applied for :

5. Mode of License Fee Payment :

6. Total Number of Equines for which subsidiary license applied

7. Name & Address of the Equine Operating License Holder :

8. Details of Equine Operating License : Such as: -
   (i) Date of issue
   (ii) Date of expiry
   (iii) License Number

9. Details of Equines

Col. 1 Equine No.	Col. 2 Category & Type	Col. 3 Sex (M/F)	Col. 4 Age	Col. 5 Identification Mark	Col. 6 General Condition of Equine	Col. 7 Condition Score

Note: Col. 6 & 7 will be filled by Inspecting Officer

10. Usual Location & Place of use of Equines :

11. Declaration

I hereby declare that the information given above are true and to the best of my knowledge.

Date: Signature of the Applicant
Place:

Remarks of Inspecting Officer

I have physically verified the General Condition & Condition Score of Equine at S.No. and found it satisfactory/unsatisfactory as on the date and I hereby recommend/donot recommend the applicant for Grant of Subsidiary Equine Operating License.

Date: Signature of the Inspecting Officer
Place:

Form – 3

Format of Equine Operating License

Ministry of Statistics, Programme Implementation & Animal Welfare

1. Equine Operating License Number :

2. Date of Issue :

3. Date of Expiry :

4. Address of the Owner :

5. Telephone (if any) :

6. Date of Birth of Licensee :

7. Number of Equine (by type) :

8. Usual Location of Equines :

Photograph of the equine operator to be pasted here

Date:
Place:

Signature of Issuing Authority
(Seal)

Form – 4

Format of Subsidiary Equine Operating License

Ministry of Statistics, Programme Implementation & Animal Welfare

1. Subsidiary Equine Operating License Number	:	Photograph of the subsidiary equine operator to be pasted here
2. Date of Issue	:	
3. Date of Expiry	:	
4. Address of the Subsidiary Owner	:	
5. Telephone (if any)	:	
6. Date of Birth of Licensee	:	
7. Number of Equines (by type)	:	
8. Usual Location of Equines	:	
9. Equine Operating License Number of Concerned Main Equine Operator	:	

Date:
Place:

Signature of Issuing Authority
(Seal)

Form – 5

Application format for Renewal of Equine Operating License / Subsidiary Equine Operating License

Photograph of the owner to be pasted here

1. Name of the Applicant :

2. Address :

3. Telephone Number (if any) :

4. Renewal of License Applied for
   a. Renewal of Equine Operating License :
   b. Renewal of Subsidiary Equine Operating License :

5. No. of previous license :

6. Mode of License Fee Payment :

7. Total Number of Equines for which renewal applied :

8. Details of Equines

Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7
Equine No.	Category & Type	Sex (M/F)	Age	Identification Mark	General Condition of Equine	Condition Score

Note: Col. 6 & 7 will be filled by Inspecting Officer

9. Usual Location & Place of use of Equines

10. Declaration

I hereby declare that the information given above are true and to the best of my knowledge.

Date: **Signature of the Applicant**
Place:

Remarks of Inspecting Officer

I have physically verified the General Condition & Condition Score of Equine at S.No. and found it satisfactory/unsatisfactory as on the date and I hereby recommend/donot recommend the applicant for renewal of Equine Operating License/Subsidiary Equine Operating License.

Date: **Signature of the Inspecting Officer**
Place:

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.